

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक-.....

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-3481, दिनांक-05.07.2017, जो कर-प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त टैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) दिये जाने से संबंधित थी, जो दिनांक-05.07.2017 से छः माह की अवधि तक अर्थात् दिनांक-04.01.2018 तक प्रभावी था, को जनहित में पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार दिनांक-30.06.2018 तक विस्तारित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/-

संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई0गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0.....

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विधि परामर्शी-सह-सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि0...16.6.18

पटना, दिनांक- 08.07.18

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, परिवहन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार के आप्त सचिव/सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/सभी मोटरयान निरीक्षक/सभी प्रवर्तन निरीक्षक एवं प्रवर्तन अवर निरीक्षक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Lian
8/3/18

सरकार के सचिव

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-02/टैक्स (ट्रैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012 परि०.....1663

पटना, दिनांक-08.07.18

बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-3481, दिनांक-05.07.2017, जो कर-प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) दिये जाने से संबंधित थी, जो दिनांक-05.07.2017 से छः माह की अवधि तक अर्थात् दिनांक-04.01.2018 तक प्रभावी था, को जनहित में पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार दिनांक-30.06.2018 तक विस्तारित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

Li au

8/3/18
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव

Government of Bihar
Transport Department

Notification

No.02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012.....1663 patna, dated.08.03.18

In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section-7 readwith sub-section (1) of section-15 and proviso to section-23 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, amnesty to the vehicle owners of tax defaulter registered/unregistered commercial/Goods carriage vehicle and Tractor-trailers, used in agricultural/commercial activities, granted by the State Government vide departmental notification no.-3481, dated-05.07.2017 which was effective up to the period of six month that is to say^{up} to 04.01.2018 from dated-05.07.2017 is hereby extended up to 30.06.2018 in the public interest subject to the conditions determined earlier.

2. This notification shall be effective from the date of its publication in the official gazette.

By order of the Governor of Bihar,

Sanjay
8/3/18
Sanjay Kumar Agarwal,
Secretary to the Government.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 फाल्गुन 1939 (श0)
(सं0 पटना 194) पटना, वृहस्पतिवार 8 मार्च 2018

परिवहन विभाग

अधिसूचना

8 मार्च 2018

सं० 02/टैक्स (टैक्टर-ट्रेलर सर्वक्षमा)-42/2012-1663/परि0—बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-7 की उप-धारा (7) सहपठित धारा-15 की उप-धारा (1) एवं धारा-23 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-3481, दिनांक 05.07.2017, जो कर-प्रमादी निबंधित/अनिबंधित व्यवसायिक/मालवाहक वाहन तथा कृषि/व्यवसायिक कार्य में प्रयुक्त टैक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामियों को सर्वक्षमा (Amnesty) दिये जाने से संबंधित थी, जो दिनांक 05.07.2017 से छः माह की अवधि तक अर्थात् दिनांक 04.01.2018 तक प्रभावी था, को जनहित में पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार दिनांक 30.06.2018 तक विस्तारित किया जाता है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार अग्रवाल,
सरकार के सचिव।

The 8th March 2018

No. 02/Tax(Tractor-trailer amnesty)-42/2012-1663—In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section-7 readwith sub-section (1) of section-15 and proviso to section-23 of the Bihar Motor Vehicle Taxation Act, 1994, amnesty to the vehicle owners of tax defaulter registered/unregistered commercial/Goods carriage vehicle and Tractor-trailers, used in agricultural/commercial activities, granted by the State Government vide departmental notification no.-3481, dated-05.07.2017 which was effective up to the period of six month that is to say up to 04.01.2018 from dated-05.07.2017 is hereby extended up to 30.06.2018 in the public interest subject to the conditions determined earlier.

2. This notification shall be effective from the date of its publication in the official gazette.

By order of the Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR AGARWAL,
Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 194-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>